

Authorization No. 2211

12.24 PM

~~32 HP/2014/R.O
25/3/14~~

"प्रख्या 26"
(नियम ४का तोहफा)



निर्वाचन क्षेत्र से (नियमित दोहर का नाम) ३। पाटलिपुत्र (जोन सभा (सभा का नाम) की लिखित

नियमित के लिए रिटिंग आफिसर के समक्ष आवश्यक हारा प्रस्तुत किया जाने वाला अधिकारी

पात्र—के

देवकुमार लाली

**पुत्र/पुत्री/पत्री देवकुमार लाली
आयु ५६ वर्ष, जो गाँव नाम है, पोखर दिल्ली, उत्तराखण्ड
वासार डिल्ली पटना

(दाक का)

उपर लिखे का/की जिवासी हूँ और सरकारी नियमित से आवश्यक हूँ सत्यमित्र रो प्रसिद्ध एवं
(उपर लिखे का/की जिवासी हूँ और सरकारी नियमित कथन करता हूँ/करती हूँ—
करती हूँ—कथन वर नियमित कथन करता हूँ/करती हूँ—

RUPALIKUMAR PATEE डॉकॉडिना (AJ) (**राजनीतिक दल का नाम) में छोड़ दिया

जाना जाएगा/एक संवित्र आवश्यक के रूप में लड़ रहा है।

(लोटारी न हो उसे कर दे)

मेरा नाम १९० पाटलिपुत्र नियम सभा (नियमित क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं ५४
के नाम सं ८६ पर प्रविष्ट है।

मेरा राज्यकाल टेलीफोन नं. 9931602640 है/है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) ...



(d) स्थाई लेखा संख्याक (प्रिंट) के बीचे और आयकर विवरणी फाइल करने की प्रारिधिति :

क्रम सं.	नम्बर	मैत्र	वित्तीर वर्ष जिसके लिए अधिक आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (फपए गे)
1.	स्थाई	२४०८	लागू नहीं है	लागू नहीं है
2.	परी या पहनी	२४०८	लागू नहीं है	लागू नहीं है
3.	आश्रित-१	२४०८	लागू नहीं है	लागू नहीं है
4.	आश्रित-२	२४०८	लागू नहीं है	लागू नहीं है
5.	आश्रित-३	२४०८	लागू नहीं है	लागू नहीं है

(e) यह ऐसे किसी लक्षित भागले में दो वर्ष या अधिक के काशावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधी) का / की प्रभावित रही हु जिसमें लक्ष्य अधिकारित वाले व्यावालय द्वारा आरोप प्रिवित किया गया है / किए गए हैं :

यदि अनिराक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधी) का / की अभिवत है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी :-

(i) निम्नलिखित भागला (भागले) भेरे दिल्ली लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के काशावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए व्यावालय द्वारा आरोप प्रिवित किया गया है / किए गए हैं।

(ii) गामला / प्रथम राहगाना रिपोर्ट राख्या / संख्याओं राहित संबंधित पुलिस धारा / जिला / राज्य के पूर्ण वर्णन

२४०८

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधी) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है

२४०८

न्यायालय का नाम, भागला राख्या और राज्यान्वयन के आदेश की सारी विवरणी की विवरणी की गई है

२४०८

२४०८



(३)	तारीख (तारीखें) जिनको आरेष विरचित किए गए थे	२०८
(४)	कहा सभी या कोई कार्यवाही किसी साक्षम अधिकारिता करते च्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	२०८

(ii) निम्नलिखित मामला (मामलों) मेरे विरुद्ध लिखित है/हैं जिनमें च्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है।
 (पृष्ठीया)

प्रदर्श (i) में दर्शित मामलों से बिन्दु:-

(५)	च्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	२०८
(६)	उन मामलों के बीच जहां अपराध ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (अपराध) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त दिवस्य जिसके (जिनके) द्वारा संज्ञान लिया गया है	२०८
(७)	उन मामलों के बीच पुनरीक्षण के लिए फाइल की पहुँच आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की पहुँच अधीक्ष (अधीक्षों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के बीचे पहुँच अधीक्ष (अधीक्षों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के बीचे	२०८

(८) युद्ध शिक्षी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतेनिधित्व अधिनियम, 1951 का 43)की धारा 6 की
 अपराध (1) या उपाधि (2) में निर्दिष्ट या उपाधि (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से जिन,
 जिनका (i) या उपाधि (2) में निर्दिष्ट या उपाधि (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से जिन
 के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का
 दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

धर्म अधिकारी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह
 निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में युद्ध शिक्षदोष ठहराया गया है और च्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

उन मामलों के बीच अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (अपराध)
 और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) द्वारा
 सिद्धदोष ठहराया गया है

च्यायालय (च्यायालयों) वाले नाम, मामला संख्या और आदेश
 (आदेशों) वाली तारीख (तारीखें)

२०८

२०८



(२)	अधिकारीपत्र दण्ड	₹ ५०/-
(३)	दस्ता सिद्धदंस उहसाने के अवेश के विरुद्ध कोई अपील पाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के बौरे और चर्तमान प्रारिष्ठता	₹ १०/-

(४) ही गेरे, गेरे पति या पत्नी और सभी अधिकारी की आरितयों (जंगम और रथावर आदि) के बौरे नीचे देखा हैं।

ब. जंगम आरितयों के बौरे :

टिप्पण १ -- संयुक्त स्वामित्व की लीगा को आदर्शित करते हुए संयुक्त नगर में आरितयों का भी विवरण दिया जाता है।

टिप्पण २ -- जगा/द्विनिधि दी दशा में रक्ग सं., रकम, जगा की तारीख, रकीम, बैंक/रांखा का नाम और उसका सहित बौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण ३ -- सूचीबद्ध कांपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेष्ठर डिवेन्चरों का मूल्य स्टॉक एकरावेजों गे चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कांपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण ४ -- यहां आधिकारी का बही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिगिप्ति अधिनियम, १९५१ की पारा ७५क के अधीन स्थाप्तीकरण (५) में है।

टिप्पण ५ -- रक्ग सहित बौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	रक्य	पति या पत्नी	आहंकारी - १	आहंकारी - २	आहंकारी
(१)	कृष्ण में नक्की	₹ २६०००/-	₹ २६०००/-	₹ ३०००/-	₹ ०/-	₹ ०/-
(२)	मैठ स्वार्ता में जगा के बौरे (प्रियतम जगा, आवधिक जगा और अन्य सभी प्रकार के जगा जिसमें गवत खत्ते नहीं हैं), नित्यीय रांखाओं, गैर-बैंककारी नित्यीय कांपनियों और सहवाजी लोसाइटियों के पारा जगा और ऐसे प्रत्येक जगा में रकम	₹ २०००/-	₹ ०/-	₹ ०/-	₹ ०/-	₹ ०/-
(३)	नक्कीयों/ पारापरिक निकियों और अन्य में बंधपत्रों/डिवेन्चरों/शेष्ठरों तथा रूपीटों विनिधान के बौरे जो	₹ ०/-	₹ ०/-	₹ ०/-	₹ ०/-	₹ ०/-

(v)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक वर्ग, बीमा प्रतिस्थिति में विनिधान के लौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं दिसीय लिखतों में विनिधान जैसे रकम	₹20/-	₹ 8,000/- विलाप विलाप प्र	₹20/-	₹20/-	₹20/-
(vi)	किसी विनियोग में निकाय विलापों की कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक वहन/अधिग्राहण और ब्राणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	₹20/-	₹20/-	₹20/-	₹20/-	₹20/-
(vii)	मोटरवाहन/चालूयान/थाट/ पेट (मेक, सीरिट्रीफरण संख्या आदि लेख करने का कार्य और रकम)	₹20/-	₹20/-	₹20/-	₹20/-	₹20/-
(viii)	जेवसात, बुलियान और भूलियान वस्तु (लिम्बु) (भार और भूल्य के ब्यारे)	₹20/-	₹ 10,50,00/- वांडी 30,000/-	₹20/-	₹20/-	₹20/-
(ix)	कोई अन्य आरितयुक्त जैसे कि पानो/हिंद का गूबा	₹20/-	₹20/-	₹20/-	₹20/-	₹20/-
(x)	समस्त वाल गूबा	₹ 7,50,000/-	₹ 22,8,000/-	₹ 30,000/-	₹20/-	₹20/-

आ. रुपकर आरितयों के लिए

टिप्पण 1-- संशुक्त रकमित्य की रैमिका को उपदर्शित करते हुए संशुक्त नाम में आरितयों का भी लिफ्ऱण दिया जाना है।

टिप्पण 2-- प्रत्येक भूमि या वयन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में सुधकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम संख्या	दिव्यरण	रखय	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेत्यस संख्याक (संख्याएँ) क्षेत्र (एकड़े में कॉस गांव) वह विवरण में जोड़ रखारी है (हाज या नहीं) स्थानित संस्थान की दशा में क्षेत्र की लागत क्षेत्र की संस्थान भूमि की लागत (क्षेत्र की दशा में)	मेजा-८३ पर्मा-२२५ विलाप-५२१ ०३ ८५५ माझू-१८१ माझू-१८०	₹20/-	₹20/-	₹20/-	₹20/-



	विकास, संनिवेश आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनियोग	Kon	Kon	Kon	Kon	Kon
(i)	अनुसारित चालू बाजार गूलब नेर कृषि भूमि : अवरिष्टता (अवरिष्टतियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	Kon	Kon	Kon	Kon	Kon
	क्षेत्र (वर्ग फूट में कुल माप)	Kon	Kon	Kon	Kon	Kon
	वथा विरासत में आई संपत्ति है (जो का नहीं)		Kon	Kon	Kon	Kon
	स्थानित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	Kon	Kon	Kon	Kon	Kon
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	Kon	Kon	Kon	Kon	Kon
	विकास संनिमाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनियोग	Kon	Kon	Kon	Kon	Kon
	अनुसारित चालू बाजार गूलब	Kon	Kon	Kon	Kon	Kon
(ii)	नियन्त्रित भवन (अपार्टमेंट सहित) अवरिष्टता (अवरिष्टतियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	Kon	Kon	Kon	Kon	Kon
	दीव (वर्ग फूट में कुल माप)	Kon	Kon	Kon	Kon	Kon
	किसित धोत्र (वर्ग फूट में कुल माप)	Kon	Kon	Kon	Kon	Kon
	क्षेत्र विरासत में आई संपत्ति है (जो का नहीं)		Kon	Kon	Kon	Kon
	स्थानित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	Kon	Kon	Kon	Kon	Kon
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	Kon	Kon	Kon	Kon	Kon
	विकास, संनिवेश आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनियोग	Kon	Kon	Kon	Kon	Kon
	अनुसारित चालू बाजार गूलब	Kon	Kon	Kon	Kon	Kon
(iii)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवरिष्टता (अवरिष्टतियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	पैसों का मानान माप १९८१	Kon	Kon	Kon	Kon
	वेदू दीव (फूट में कुल माप)	2722 क.प्री.	Kon	Kon	Kon	Kon

विनियम से दिए गए कुल मामूल	2722 रुपये	Kan.	Kan.	Kan.	Kan.
वया विशेषता ने अद्य संपत्ति है (जैसा भर्ती)		Kan.	Kan.	Kan.	Kan.
रक्तसिंह संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख		Kan.	Kan.	Kan.	Kan.
क्रय के साथ भूमि की लागत (क्रय जी दशा गे)		Kan.	Kan.	Kan.	Kan.
विकास संग्रहालय आदि के साध्यम से भूमि पर कोई निश्चिकान		Kan.	Kan.	Kan.	Kan.
(V) अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)		Kan.	Kan.	Kan.	Kan.
(VI) पूर्वांकित (i) से (V) का कुल भालू बाजार मूल्य		Kan.	Kan.	Kan.	Kan.

(ii) में, लोक पितृत्व रांभधारों और सरकार के प्रति दाखिलों/वज्रे शोधों के द्वारा नीचे देता है :-

(ट्रिप्पल : कृपया बैठा, रांभधा, निकम्य या व्यक्तिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समान रकम के व्यारों का पूर्ण विवरण दें।)

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आधित -1	आधित -2	आधित -3
(i)	वैक/पितृत्व संस्था (संस्थाओं के नाम या शक्ति वैक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ज्ञान की प्रकृति पूर्वांकित वर्णित से निम्न पितृत्व अन्य व्यक्तिकों निकास को बताए जा शोध्य नाम, बकाया, रकम, वैक की प्रकृति कोई अन्य दाखिल दाखिलयों का पूल योग रासकारी शोध्य : सरकारी आदान-प्रदान वर्तमान वाले विनायों को शोध्य जनक अपूर्ति से वर्तमान वाले विनाय का शोध्य	Kan.	Kan.	Kan.	Kan.	Kan.
(ii)		Kan.	Kan.	Kan.	Kan.	Kan.
(iii)		Kan.	Kan.	Kan.	Kan.	Kan.



	विद्युत आपूर्ति से बरकरार वाले क्रिमान को शोध	Xem	Xem	Xem	Xem	Xem
	टेलीफोन/नोबाईल आपूर्ति से बरकरार वाले विभाग को शोध	Xem	Xem	Xem	Xem	Xem
	सरकारी परिवहन (यायुगान और हेसिकाटर रस्फिहा) से बरकरार वाले विभाग को शोध	Xem	Xem	Xem	Xem	Xem
	आय-कर शोध	Xem	Xem	Xem	Xem	Xem
	बनकर इनियं	Xem	Xem	Xem	Xem	Xem
	सेवाकर शोध	Xem	Xem	Xem	Xem	Xem
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	Xem	Xem	Xem	Xem	Xem
	विद्यायकर शोध	Xem	Xem	Xem	Xem	Xem
	कोई अन्य शोध	Xem	Xem	Xem	Xem	Xem
(ii)	सभी सरकारी शोधों का कुल गोप	Xem	Xem	Xem	Xem	Xem
(iv)	क्या कोई अन्य दाखिला विवादाशीन है, यदि हाँ तो अंतर्वित रकमें और उस प्राधिकारी जिसके सम्बन्ध यह संकेत है का वर्णन करें।	Xem	Xem	Xem	Xem	Xem

(i) शुरू का सफरीनिया के छाँरे :

(क) स्वयं ४७५५

(ख) पति का पत्नी ३८४५

(ii) गैरी शैक्षिक अद्दता नीचे दिये जनुसार है :-

बनिय ३-एड०८० य० एन० की जॉलेज, अद्युत्ति, य० ल० ग००१, ४२८१

मात्र १९७९/७४१८, १५- १९८१


(उपर्युक्त/डिप्लोमा/डिमी पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रस्तुत करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय विद्यालय के द्वारा देते हुए विद्यालय/प्राविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस पर्यंत जिराम-पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का घैरा है)



माम-ख

(१) भाषा के (१) से (१०) तक में दिए गये व्यौरे का उद्घारण

१	अप्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/ सुनील कुमार नारा			
२	दार्क का पता	जाम-वरही, पो० दिल्ली, धाना कुमार नामा०, प२७।।			
३	विविचन छेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	३। पटिअपुभ (सामाजिक) निकौ।।			
४	उस राजनीतिक दल के नाम जिसने अप्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा रखतात्र लिखें)	निपतिलालन पाटी आंदोलन -इन्डिया (A)			
५	(i) ऐसे लोहित गामलों की कुल संख्या जिनमें कोई वर्ष या अधिक के कारबाहे से दंडनीय अपराधों के लिए जानालय द्वारा आदेष विरचित किए गए हैं। (ii) ऐसे गामलों की कुल संख्या जिनमें जनालय (जनालयही) ने संग्राम लिया है (लपर पद (i) उल्लिखित गामलों से मिल)				३०८
६	ऐसे कुल गामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष द्वाराया गया एक दर्य या उससे अधिक के लिए लासवरा से और दोहिता किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमत्र १९५१ की दृष्टि से उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिद्धाएं)				३०८
७		का रणीय लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फलहस्त की गई है	कुल दर्शित आय	
	(अ) अप्यर्थी	३०८	३०८	३०८	
	(ब) जीति या पली	३०८	३०८	३०८	
	(स) जानश्रित	३०८	३०८	३०८	
८	आरिताओं और दायित्वों के व्यौरे (खाप्ये में)				
	विवरण	रवरा	जीति या पली	आश्रित-१	आश्रित-२
	खाप्य आरिताओं (कल गत्य)	५० लारू	३०८	३०८	३०८



41

उच्चतम शैक्षिक अहेंड : उत्तीर्ण नाड़ी ५० फैफ ८०, कैम्पोसेमा, भारुद्धा
भारत ७९१६३०००, दिसंबर १९८१

(प्रभाषणपत्र/डिल्लोग्रा/डिक्टी के पूर्ण प्रखल का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय
शिक्षा, विद्यालय/गणकालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिससे पाठ्यक्रम पूरा किया भवा
या, का बोरे दें।)

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिरक्षा इसके हारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शास्त्रपत्र की
भिन्न-वस्तु मेरी सद्व्यतम जानकारी और विश्वकरा के अनुसार रात्रि और सही है, और इसका कोई भ्राय गिर्वा
नहीं है तथा इसमें से कोई भी उल्लिखित हेत्या नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(१) मेरे विलग्गे उपर भाग के और खं की गद ५ और ६ में उल्लिखित दोषसिद्धि का भागला या संवित
भागला से गिन्न कोई दोषसिद्धि का भागला या संवित भागला नहीं है;

(२) मेरी एहति या पत्नी या गेरे आक्रितों के पास उपर भाग की गद ७ और ८ तथा भाग खं की गद
९, १० और ११ में उल्लिखित आरित या दायित्व से गिन्न कोई आरित या दायित्व नहीं है।

अप्पा रामेश को सत्यापित किया गया।

टैक फूमार्टमी

अभिरक्षा

Signature of Dr. Ramesh
Signature fixed in my presence

टिक्का 1. शास्त्रपत्र नामांकन प्राप्ति करने के बातिं दिन को इस शास्त्रपत्र से के फोड़ा किया जाना
चाहिए।

टिक्का 2. शास्त्रपत्र पर किसी शास्त्र कमिशनर्स प्रथम वर्ष भजिस्ट्रेट के रागता या किसी नोटरी प्रक्रिया
के रूपमा उपयोग नहीं चाहिए।

टिक्का 3. रक्षी रक्षाने को भर जाना चाहिए और कोई रक्षा खाली न छेड़े, यदि किसी भद्र के संबंध में
इने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथारित रूप से "रक्षा" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना

टिक्का 4. शास्त्रपत्र उकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।



टिप्पणी - ५ भागीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121--2008 में रिसर्टेता इनिया बनाए जारी निर्णय का आधोग एवं अन्य के प्रभाले में अपशिष्यों द्वारा अपूर्ण शब्द-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में अधिकृत द्वारा शपथ पत्र के सभी संघों को भरा जाना है। कोई भी संघ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह लौग कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी संघ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अग्रवाली को खाली संघों के संघ में जागकारी उपलब्ध कराने हेतु राग्र देंगे। भागीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी भद्र में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जागकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे संघ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी संघ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अग्रवाली राग्र दिये जाने के बाद भी संघ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अर्थीकरा कर दिये जायेंगे।

टिप्पणी-६ शायद यह के पास ३ गें जानकारी दिलाइरिए रूप में उपलब्ध रखायी जायेगी।

प्रिया दुर्घाय साधुक राज्यका संसद्या / संसद्या में ही 9931602640

परं तदेव अविद्यां अग्र छोड़ दो ही ८५४-७६।

एवं ऐसे सौशाल वीडियो प्रकाशनम् अग्रवाल कोई दोष है।

रिमान-7 दायर अव के पारा ४ में वित्तीय संरक्षणों के प्रति दायित्वों में शिदेशी दैकों/संरक्षणों में जगा/शिवेश रहित सम्बन्ध है।


भाग-ख

(1) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये व्यौरे का उद्देश्य

1	आयर्सी का नाम	श्री/ श्रीमती/ कुण्ठ देव तुमर राज				
2	जोड़ का पत्ता	उमा बहू, फै० दिल्ली, धाना तुमरा, भागीर, पटना।				
3	नियावन धेन की संख्या और गाम तथा राष्ट्र	3। पाटलपुर (साइराम) निकाल				
4	उस राज्यसिक दल का नाम जिसमें आयर्सी को खड़ा किया है (अन्यथा रक्ततंत्र लिये)	प्रियंगन पाटी, अंग बहिराम (A)				
5	(i) ऐसे लंबित गामों की कुल संख्या जिनमें ये वर्ष था अधिक के कारणात्म से दंडनीय आपाधो के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विवरित किए गए हैं। (ii) ऐसे गामों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालय) ने रांझान लिया है (ज्यार मद (i) उल्लिखित गामों से मिल)	४०८				
6	ऐसे कुल गामों की संख्या जिनमें सिद्धांतों द्वारा गस्त एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारणात्म से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमन्त्र 1951 की पास ८ ली उपचारा (1), उपचारा (2) या उपचारा (3) में निर्दिष्ट अपाधों के रिकाप)	२०८				
7	का रथार्थी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए शरिन आयकर विवरणी फाइल की मई है	कुल दर्शित आय			
(क) आयर्सी	२०८	२०८	२०८			
(ख) पर्ती या पत्नी	२०८	२०८	२०८			
(ग) आश्रित	२०८	२०८	२०८			
8	आश्रितों और वापिलों के अवैरे (ज्यादे ५) विवरण	रहग	प्रति वा पत्नी	आश्रित-१	आश्रित-२	आश्रित-३
ज्यादम आश्रितस्थ (कुल अवैर)	५० लाख	२०८	२०८	२०८	२०८	२०८



स्वास्थ्य आरोग्यवाचक अनुमति						
	स्वास्थ्य आरोग्यवाचक अनुमति की क्रय कीमत	₹ 20/-	₹ 20/-	₹ 20/-	₹ 20/-	₹ 20/-
१.	स्वास्थ्य आरोग्यवाचक अनुमति की क्रय कीमत	₹ 20/-	₹ 20/-	₹ 20/-	₹ 20/-	₹ 20/-
२.	क्रय के पश्चात् स्वास्थ्य आरोग्यवाचक अनुमति की विकास/संविभाग लाभत (यदि लाभ हो)	₹ 20/-	₹ 20/-	₹ 20/-	₹ 20/-	₹ 20/-
३.	निम्नलिखित की अनुगमित वर्तमान बजार कीमत (i) स्वास्थ्य आरोग्यवाचक (कुल मूल्य) (ii) दिवसाती आरोग्यवाचक (कुल मूल्य)	₹ 20/-	₹ 20/-	₹ 20/-	₹ 20/-	₹ 20/-
४.	पायितव	₹ 20/-	₹ 20/-	₹ 20/-	₹ 20/-	₹ 20/-
५.	रासायनी शोध (कुल)	₹ 20/-	₹ 20/-	₹ 20/-	₹ 20/-	₹ 20/-
६.	दैन, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से क्रय (कुल) इन संस्थानों जो वित्ताधीन हैं	₹ 20/-	₹ 20/-	₹ 20/-	₹ 20/-	₹ 20/-
७.	रासायनी शोध (कुल)	₹ 20/-	₹ 20/-	₹ 20/-	₹ 20/-	₹ 20/-
८.	दैन, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से क्रय (कुल)	₹ 20/-	₹ 20/-	₹ 20/-	₹ 20/-	₹ 20/-



उच्चतम शैक्षिक अहंकार : उत्तीर्ण नाम : १० फर्वरी २०१० जन्मस्थान : काशीगुड़ा
गुजरात १९७९ विद्यालय : बोर्ड गोपा, नव - १९८१

(प्रभाणपत्र/डिस्ट्रोमा/किसी के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय
शिक्षा, विद्यालय/पद्धतिविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें शास्त्रक्रम पूछ किया गया
था, का चीरे दें।)

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित अधिकारी इसके द्वारा यह सत्यापन और पौष्टि करता हूँ कि इस शपथपत्र की
मिथ्या-वस्तु कोई सदैनकारी और निश्चास के अनुराग सत्य और सही है, और इसका कोई भाग निष्ठा
नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथा नहीं किया गया है। मैं यह और पौष्टि करता हूँ कि :-

(क) मेरे निम्नलिखित ऊपर भाग के और खं की गद ५ और ६ में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबिल
मामलों से दिन नोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी भासि या पली या गेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग की गद ७ और ८ तथा भाग ख की मद
३, ९ और १० में उल्लिखित आसित या दस्तिल से गिन कोई आसित या दायित्व नहीं है।

मामले का नाम तारीख को सत्यापित किया गया।

टैफ चुमा २०१०

अग्रिमादी

*I, identified by the signature of T.D. above, have
Signature of T.D. affixed in my presence.*

टिप्पणी 1. शपथपत्र नामांकन प्राप्ति करने की आतंग दिन को उत्तीर्ण अपराह्न तक फाइल किया जाना
चाहिए।

टिप्पणी 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कर्मिशनकर्मा प्रथम वर्ग भविष्यट्रैट के रागहा या किसी नोटरी परिवाक
के रागहा राख दी जानी चाहिए।

टिप्पणी 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी नद के संबंध में
होने के हित छोड़ जानकारी नहीं है तो, यथारिता "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना

कानूनी

टिप्पणी 4. शपथपत्र टक्कित या सुपाठ्यसभ से राजका-साफ लिखित होना चाहिए।



रिप्पुण -- ५ भारतीय सांख्यिक न्यायालय द्वारा दिया कि 13.09.2013 को WP(C) रांख्या १२१-२००० में रिसार्जेंस इकाई बनाते भारत निर्वाचन अध्योग एवं अन्य के गामाले में अधिकारियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संकेत में दिए गये न्याय निर्णय के आलंकैक गें अध्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के रांगी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रत्युत्त किये जाते रामय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जारी कर लिया जाना है कि उस निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अबर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अध्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु उमार देंगे। गान्जीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी नद में आलंकै कराये जाने हेतु कोई ज्ञानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जौ उपयुक्त हो, ऐसे लोग में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अध्यर्थी उमार दिये जाने के दावे भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संकीक्षा के रामय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अखीकृत कर दिये जायेंगे।

विषय-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

દેશ કૃત્તિમ રાખકી રાણી/સંઘાતે હૈ/ક્ર. 9931602640

जैसा हुँ-गेल अहिंकरीय (अमर कोई हो) है... ८७१२५४६।

पुर्ण रैया रामेश्वर मीडिया एकाउटेस (भ्रगुर कोड नं.) हैं _____ 3/01

टिप्पणी-७ शपथ पत्र के पारा ४ में विदेशी संरक्षणों के प्रति दायित्वों से विदेशी धैर्यों/संरक्षणों में जगा/गिरवेश
शहरिर रखता है।